



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं . 1903 / Type Approval No. 1903

**मद/FOR ITEM: एम्बर 800ए सीटीके1 कंट्रोल यूनिट, पार्ट सं. सी103.04.0000/
AMBER800A CTK1 Control Unit, Part No.: C103.04.0000**

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलेपमेंट सेंटर (एस एल आर डी सी), एवियोनिक्स प्रभाग, मेसर्स एच ए एल, हैदराबाद-500 042 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग, बालानगर, हैदराबाद-500 042, द्वारा उत्पादित, " एम्बर 800ए सीटीके1 कंट्रोल यूनिट ", पार्ट सं. सी103.04.0000, को मास्टर आरेखन इंडेक्स सं. सी103.04.0000डीएल रिविज़न सं.0/इश्यू सं.03, दिनांक: 30 सितंबर 2015 के अनुसार चेतक (नेवी) हेलिकॉप्टर में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (हैदराबाद) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज. एसएलआरडीसी (एचएएल)/सीओएम/एम्बर800/सीयू/टीएस, इश्यू सं. 002 दिनांक 13 अगस्त 2010, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "AMBER800A CTK1 Control Unit" bearing the Part No.: C103.04.0000 designed & developed by Strategic Electronics Research & Development Centre (SLRDC), Avionics Division, M/s. HAL, Hyderabad-500 042 & Manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, Balanagar, Hyderabad - 500 042, is hereby approved for production as per Master Drawing Index No. C103.04.0000DL Rev. No.0/Issue No.: 03, Dated: 30th September 2015 for use in Chetak (Navy) Helicopter. It has been tested as per Technical Specification Doc. SLRDC(HAL)/COM/AMBER800/CU/ TS, Issue No: 001, Dated: 08th January 2014 and Qualification Test Plan Doc No.: SLRDC(HAL)/COM/ACS235/CU/QT-PL, Issue-002 Dated: 13th August 2010 in co-ordination with RCMA (Hyderabad). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 सितम्बर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th September 2021 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), for subsequent renewal, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।


Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए./TA-1903
दिनांक/Date : 30 August 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

30 Aug 2016
30 Aug 2016


(गंतायत गौड़ वै.जी'/G. Gouda, Sc. 'G')
स्थानामन्त्र मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)
Offg. Chief Executive (Airworthiness)